सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 24, बुधवार, शाके 1943-सितम्बर 15, 2021

Bhadra 24, Wednesday, Saka 1943- September 15, 2021

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, सितम्बर 14, 2021

संख्या F37(3)/नि.आ./जो.वि.प्रा/जेडडीपी/2021/904 :-जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 क्षेत्र हेतु जोन उत्तर N1, N2 का प्रारूप जोनल डवपलमेन्ट प्लान प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.09.2021 द्वारा आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 16.09.2021 से आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने है।

अत: उपरोक्तानुसार प्रारूप जोनल विकास योजना जोन उत्तर N1, N2 के सबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आपत्ति/सुझाव इस विज्ञप्ति के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की कालावधि में निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में निर्धारित कालावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझाव स्वीकार योग्य नही होंगे।

उपरोक्तानुसार अधिसूचना प्रारूप जोनल विकास योजना जोन उत्तर N1, N2 का अवलोकन जोधपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सुविधा केन्द्र एवं जो.वि.प्रा की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/jda पर किया जा सकता है।

सचिव,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

2488

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।